JALAUN POLICE

दिनांक – 22.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त कृष्णवीर राठौर पुत्र भईयालाल नि0 मोहल्ला गोखले नगर कोतवाली कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में दिनांक 14.09.2025 को कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 330/2019 (वाद संख्या- 105/2019) धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध 10 दिवस के भीतर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा अभियुक्त कृष्णवीर उपरोक्त को दिनांक 15.09.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 22.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कृष्णवीर उपरोक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।